न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 7/18 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00031

उनवान

मोहनसिंह पुत्र श्री परसराम जाति जाट निवासी ग्राम कूम्हा तहसील व जिला भरतपुर।

............अपीलान्ट

बनाम

1. परसराम पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कूम्हा तहसील व जिला भरतपुर।
2. सुमन पुत्री परसराम पत्नी प्रेमसिंह जाति जाट निवासी रेल्वे स्टेशन के पास मथुरा जिला मथुरा।
3. सुधा पुत्री परसराम पत्नी शैलेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम अकवाई तहसील किरावली जिला आगरा (उ.प्र.)
4. लता पुत्री परसराम पत्नी योगेन्द्र जाति जाट निवासी कामां तहसील कामां
5. चमेली पत्नी शिवचरन, जाति जादो ठाकुर निवासी ग्राम झीलरा तहसील व जिला भरतपुर।
6. पूजा पत्नी राजवीरसिंह जाति जादो ठाकुर निवासी ग्राम झीलरा तहसील व जिला भरतपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार

...........रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 219/2013 बउनवानी मोहन सिंह बनाम परसराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2017 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत, धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 26.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा मु.स. 219/2013 बउनवानी मोहन सिंह बनाम परसराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2017, दावा अन्तर्गत, धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित हाल आराजी ख.न. 850, 873, 1019, 1048, 1079, 1095, 1138, 1333, 1370, किता 9 रकबा 3.86 है0 स्थित वाके ग्राम कूम्हा तहसील भरतपुर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की पैतृक आराजी है। जो पूर्वजों से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें वादी 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार कृषक है। किन्तु राजस्व अभिलेख में खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ कानून समस्त आराजी पर अकेले प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज किया गया है। इसलिए वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी से अकेले प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादी को 1/5 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 को हिस्सा बराबर 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जावे। बयनामा दिनांक 06.11.2013 को बातिल व बेअसर घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी के कुरे तैयार कर वादी के 1/5 हिस्से का पृथक खाता व लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी में हस्तक्षेप न करें। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये समनों से की गयी। जिसके बाद उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.04.2017 को निर्णय पारित कर वाद वादी प्राथमिक रुप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 850/0.27, 873/0.38, 1019/0.67, 1048/0.29, 1079/0.34, 1095/0.36, 1138/0.76, 1333/0.27, 1370/0.52 किता 9 रकबा 3. 86 हैक्टर वाके ग्राम कूम्हा तहसील भरतपुर की बाबत दावा डिक्लेरेशन एवं तकसीम हेतु इस आशय से पेश किया था कि उक्त आराजी अपीलान्ट की पैतृक आराजी है जिसमें अपीलान्ट कोपार्सनर के नाते 1/5 हिस्से का सहखातेदार है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा आराजी ख.न. 1019/0.67 ग्राम कूम्हा का बेचान गैर–कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 को कर दिया गया। जो वादी अपीलान्ट के हिस्से तक बातिल व बेअसर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकी सं. 1 का निर्णय खिलाफ कानून है क्योंकि वादी अपीलान्ट को खसरा नम्बर 1019/0.67 को छोड़ते हुए शेष आराजी में 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया है जो कि गलत है। विवादित आराजी ख.न. 1019/0.67 सड़क से चिपटा हुआ है तथा शेष आराजी सड़क से दूर हैं। राजस्व रकबा 1019/0.67 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कुर्रे में अंकित करना गलत है। जो न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है इसलिए निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय भी गलत व खिलाफ कानून पारित किया है। वादी अपीलान्ट द्वारा बयनामा दिनांक 06.12.2013 को निरस्त कराने हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया बल्कि उक्त बयनामा कानून की नजर में बातिल व बेअसर है। दावा में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना हिस्सा विवादित आराजी में 10 एयर स्वीकार कर लेने मात्र से खसरा नम्बर 1019/0. 67 को दावा से पृथक नहीं किया जा सकता है। इस नम्बर बाबत न्यायालय श्रीमान में स्टे के विरुद्ध अपील भी जैर कार्यवाही है तथा उसमें स्थगन आदेश जारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 4,5,6 का निर्णय भी खिलाफ कानून किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2012(4) RLW 3050 न्यायिक दृष्टांत पेश किया हैं

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि वादी अपीलान्ट नौकरी के सिलसिले में दिल्ली रहता है अपने वकील से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी करता रहता है। निर्णय दिनांक 24.04.2017 जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाया गया था तब वादी अपीलान्ट का दावा डिक्री फरमाया था तथा कुर्रे तहसील भरतपुर से तलब किये थे। वादी अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अब दिनांक 23.01.2018 को भरतपुर आया तब पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला कि खसरा नम्बर 1019 को छोड़कर शेष आराजी में ही कुर्रे तैयार करने के आदेश है। अपीलान्ट तुरन्त अपने वकील से मिला तथा उसी दिन प्रार्थना–पत्र नकल हेतु प्रस्तुत किया गया। नकल निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.01.2018 को प्राप्त हुई उसे पढ़ने पर जानकारी में आया कि निर्णय खसरा नम्बर 1019 को छोड़कर किया है। यह अपीलान्ट के हितों के खिलाफ है। दिनांक 26 से 28 जनवरी का राजकीय अवकाश होने के कारण अपील जानकारी से बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील होने जानकारी व मिलने नकल से अन्दर मियाद शुमार कर देरी माफ की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर निरस्त फरमाये जाकर समस्त आराजी 3.86 हैक्टर में से वादी अपीलान्ट को 1/5 हिस्सा जरिये बंटवारा दिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2017 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 30.01.2018 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

7. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– 1. आया वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है? जिस पर वादी स्वयं को 1/5 हिस्सा का कोपार्सनर खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है ? ....वादी

तनकी सं. 2 :– आया वादी बयनामो दिनांक 06.11.2013 को वातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है ? ....वादी

तनकी सं. 3 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी के कुरे तैयार करा एक कुरे पर अपना पृथक खाता व लगान संधारित करा पाने का अधिकारी है? ....वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तनकी सं. 4 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है? ....वादी

तनकी सं. 5 :– आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं0–1 की निजी सम्पति है? घमन्डी से जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र प्राप्त हुयी है? माधुरी से रिलीज डीड से प्राप्त हुयी है ? वादी का इस सम्पति से कोई सम्बन्ध नहीं है? ....प्रतिवादी सं0–1

तनकी सं. 6 :– आया वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी सं0–1 का हिस्सा 1/5 प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 का हिस्सा 3/5 है? ....प्रतिवादी सं0–1

7. दादरसी–?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी ग्राम कूम्हा सम्वत् 2067–70 में अंकित हाल आ०ख०नं० 850/0.27, 873/0.38, 1018/0–67, 1048/0.29, 1079/0. 34, 1095/0. 36, 1138/0.76, 1333/0.27, 1370/0.52 किता–9 रकवा 3.86 है0 विवादित है जो प्रतिवादी सं0–1 परसराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं0–1 ने अपने जवाबदावा में इस आराजी में अपना 1/5 हिस्सा मानते हुये स्वीकार किया है कि उसके 1/5 हिस्सा अर्थात 0.77 है0 में से उसने हाल ख0नं0 1019/0.67 है० को रजिस्टर्ड बयनामों दिनांक 06.12.2013 से प्रतिवादी सं० 5–6 को विक्रय कर देने से अब प्रतिवादी सं0–1 का हिस्सा 0.10 है० शेष रहता है। वादी का हिस्सा भी उसने 1/5 स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं0 2–3–4 का हिस्सा प्रत्येक का 1/5–1/5–1/5 उसने अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है। अतः वादी स्वयं को वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है। यह तनकी वाहक वादी के निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

वादीगण/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विवादित हाल आराजी ख.न. 850, 873, 1019, 1048, 1079, 1095, 1138, 1333, 1370, किता 9 रकबा 3.86 है0 स्थित वाके ग्राम कूम्हा तहसील भरतपुर बाबत् पेश किया था। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की पैतृक आराजी है। जो पूर्वजों से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें वादी 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार कृषक है। किन्तु राजस्व अभिलेख में खिलाफ कब्जा मौका व खिलाफ कानून समस्त आराजी पर अकेले प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज किया गया है। वादी ने वाद मे यह अनुतोष मांगा कि विवादित आराजी से अकेले प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादी को 1/5 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 को हिस्सा बराबर 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं बयनामा दिनांक 06.11.2013 को बातिल व बेअसर घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी के कुरे तैयार कर वादी के 1/5 हिस्से का पृथक खाता व लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी में हस्तक्षेप न करें। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.04.2017 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में गवाह के रुप में पीठासीन अधिकारी के समक्ष कोई भी शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 वाके ग्राम कूम्हा, नकल मिलान

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

क्षेत्रफल वाके ग्राम कूम्हा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027, नकल जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 एवं जमाबंदी संवत 2019 से 2022 वाके ग्राम कूम्हा इत्यादि दस्तावेजात पेश किये गये हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किये गए है एवं ना ही उक्त दस्तावेज को विधिवत प्रदर्शित किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। इस धारा में निम्न प्रावधान हैं :–

208 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवायः–

(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,

(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू उपबन्धों के, तथा

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची–II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 में उल्लिखित तीन अपवादों को छोड़कर राजस्व न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गयी प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस, मैन्युअल 1956 की प्रक्रिया अनुसार दावों का निस्तारण करते हैं। साक्ष्य विधि की पद्धति उक्त अधिनियमों के अनुसार ही अपनाई जाकर प्रकरण के निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उठता है तब वे न्यायालय जाते हैं जो विवादग्रस्त विवाद्यकों या प्रश्नों को निर्धारित करता है। तत्पश्चात् पक्षकार अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विधि के उपयोग का प्रारम्भ होता है। यह विधि साक्षियों और दस्तावेजों आदि को, जो विवादग्रस्त विषयों के विनिश्चय के लिए सुसंगत हैं पेश करने की पद्धति बताती है। दूसरे शब्दों में साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने की रीति है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 (भाग–2) में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने बाबत प्रावधान किए गए है एवं गवाहों को किस प्रकार उल्लेख किया जावे इस बाबत भी प्रावधान दिए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित नहीं किए जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जब दस्तावेजात को प्रदर्शित ही नहीं किया गया तो वे साक्ष्य में पढे नहीं जा सकते हैं एवं उनके आधार पर निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के अभिवचनों से विनिर्दिष्ट रुप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादी को अपने अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना होता है। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और यदि किसी दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना भी जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्श हुए हैं और आवश्यक होने पर साबित हुए हों। प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर किये जाएगे। इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू कोटर्स मेनयूअल

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(भाग–2) 1956 के नियम 80 के अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए साथ ही नियम 80(4) के अनुसार प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर (Initialled and dated) किए जाएगें एवं नियम 129 के अनुसार पक्षकारों एवं गवाहों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री उपर्युक्त विवेचन के क्रम में पारित किए हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार तनकी सं. 1 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

बयनामें संख्या 2013015544 व 2013015543 दिनांक 06.12.2013 को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। प्रतिवादी सं० 1 ने अपने जवाबदावा में जब कुल आराजी 3.86 है० में अपना मात्र 1/5 हिस्सा अर्थात 0.77 है० स्वीकार कर बयनामो से विक्रय आराजी 0.67 है० के पश्चात शेष 0.10 है० मात्र पर अपना हिस्सा खातेदारी स्वीकार कर लिया है जब उसके द्वारा विक्रित आराजी विवादित नहीं रह जाती। यह तनकी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकी सं. 1 का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है। इसलिए उक्तानुसार तनकी सं. 2 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

वादग्रस्त आराजी में वादी, प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा होना वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार प्रतिवादी सं0–1 ने अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है। तदानुसार तनकी सं0–1 वाहक वादी के निर्णित हुयी है। अतः वादी अपना पृथक खाता व लगान भी संधारित करा पाने का अधिकारी है। यह तनकी वाहक वादी के निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है। उसी आधार पर तनकी सं. 3 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 4 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

वादग्रस्त आराजी के वादी तथा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के सह खातेदार कृषक है। आराजी के विधिवत् विभाजन होने तक वादी को सह खातेदार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। यह तनकी विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 4 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

इस तनकी का निर्णय भी अन्य तनकीयों के आधार पर पुनः किया जाना वांछनीय है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 5 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

वादी ने दिनांक 11.04.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्राथमिक डिक्री की प्रार्थना की है। जवाबदावा में वादग्रस्त आराजी पर वादी का 1/5 हिस्सा स्वीकारं किया है। अपने इस कथन के समर्थन में कि आराजी को घमन्डी से रजिस्टर्ड दानपत्र व माधुरी से रिलीज डीड से प्राप्त किया है। कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रतिवादी सं0–1 ने पेश नही किया है। इसलिये यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी सं0–1 के निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 5 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या 5 का निर्णय भी अन्य तनकीयों के आधार पर पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 6 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी सं0–1 में पूर्ण विवेचना हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0–2 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं०–1 का 0.10 है० हिस्सा है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 6 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या 6 का निर्णय भी अन्य तनकीयों के आधार पर पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 7 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी संख्या 7:– दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार तनकी सं. 1 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2017 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रक्रियात्मक कानूनी की पालना करते हुए, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य–सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत रुप से पुनः नये सिरे से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष दिनांक 29.06.2026 को उपस्थित होवें।
10. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर